# मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

## 32, सिविल लाइन्स, मथुरा

A

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति

ग्रुपहाउसिंग (कृष्णा फ्लोरेंस)

कल्चर हाउस डेवलपर्स प्रा. लि.

फाइल संख्या......64/K-13-14.....

श्री/श्रीमती/कुमारी विवेक चावला.......... पुत्र/पत्नी श्री आर.सी. चावला

निवासी ...गाटा नं० 785, एवं 786/2, मौजा - छटीकरा...........................

स्थल.....मथुरा।..........................................................

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकाश अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक 21/01/13.......को दिया । को निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के साथ आज दिनांक ..26-9-14.. से ..25-9-.. 2019 को दी जाती है ।

(1) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया जायेगा ।

(2) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा ।

(3) निर्माण की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुज्ञा प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा --

(क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि ..................................................

(ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठने से पूर्व ..........................................

(ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, गृह प्रवेश के पूर्व .................

(4) दी गई अनुज्ञा केवल पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता उचित समय के भीतर प्रार्थना करें तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाएगी परन्तु वह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा । स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जाएगा ।

(5) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मथुरा सर्टीफिकेट न प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है ।

(6) उपर्युक्त निर्माण इण्डियन इलैक्ट्रिकसिटी रूल्स 1957 के नियमों 79 तथा 30 के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी ।

(7) रैन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा ।

(8) स्थल पर मानक अनुसार वृक्ष, कदम्ब, अशोक आदि के लगाने होंगे

(9) मानचित्र पर चस्पा सभी शर्तें मान्य होंगी।

उपाध्यक्ष

मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण,

मथुरा ।